

2539

(42)



377

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129506



बयनामा

20 MAY 2006	बयनामा	20,00,000 / -रु०
	मालियत	20,04,000 / -रु०
	स्टाम्प	2,00,500 / -रु०

हम कि कल्लू सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम पाकवड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) व लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा० लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री

कल्लू सिंह

N. P. Singh



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129507

2

20 MAY 2006

विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काशत भूमिधरी बकदर 1/3 भाग खाता सं0 562 खसरा सं0 610 मि0 रकबई 0.506 हेक्टे0 व खसरा सं0 612 अ रकबई 0.344 हेक्टे0 व खसरा सं0 612 व रकबई 1.174 हेक्टे0 कुल 3 किते कुल रकबई 2.024 हेक्टे0 लगानी सालाना 67.00 रू0 जमीन किस्म दोमट सर्किल न0 2 बाकै ग्राम पाकवड़ा तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधर मालिक काबिज व दखील हैं। प्रथम पक्ष को इस

कल्लु सिंह

Vipin Kumar



20 MAY 2006

129508

3

आराजी की बावत विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा प्रथम पक्ष को अपने भाग को विक्रय करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन नहीं है विक्रय की जाने वाली आराजी इस बक्त तक हर किस्म के बार, लोन सरकारी या गैर सरकारी व कुर्की व किफालत व नीलामी बगैरहा से कतई बरी पाक व साफ है गरज यह कि विक्रीत आराजी पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है तथा ना ही इस आराजी पर किसी प्रकार का कोई बकाया आदि है तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति का विक्रय की जाने वाली आराजी में कोई हक व हिस्सा है तथा विक्रय की जाने

कल्लू सिंह

Vipin Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129510

4

20 MAY 2006

वाली आराजी की बावत हम प्रथम पक्ष विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति को कोई इकरारनामा या बयनामा नहीं किया है तथा न ही इस आराजी की बावत द्वितीय पक्ष (क्रेता) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त की है आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है। चूंकि कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा हम प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने खूब सोच व समझकर बिना बहकायें व सिखाये व दबाब नाजायज किसी के पूर्णतः अपनी सदबुद्धि से यह आराजी मुबलिग 20,00,000/-रूपये (बीस लाख) रूपये आधे जिसके 10,00,000/-रु० (दस लाख) रूपये

कल्लू सिंह

U. pr. k. ...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129509

5

20 MAY 2008

होते हैं द्वितीय पक्ष क्रेता (लोहिया डेवलपर्स इण्डिया प्रा0 लिमिटेड लाकड़ी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा डायरेक्टर श्री विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नारायण कुमार गुप्ता निवासी 131, लाजपत नगर शहर व जिला मुरादाबाद) को वय और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन उसका हस्व तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुबइया मजकूर वाला का कब्जा ब दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसानः प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता बाकी

कलश सिंह

V. Parkash



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129511



6

20 MAY 2006

नहीं रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा। कि वह कागज कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी बक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जखाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जावे या बगरज तहफफुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की

कल्लू सिंह

Nipin Kumar



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

129512



7

वापसी का प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हरजे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष विक्रेता की होंगी अब

मल्लु सिंह

U.p.w. kumar



129513

8

20180226 द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा। पक्षकारान के फोटो गवाहान की शिनाख्त पर श्री एस0 माथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये।

कल्लू सिंह

Nipun K...





नोट:-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "घ" के क्रमांक 32 के अनुसार 12,00,000/- रुपये प्रति एकड़ निर्धारित है। उसी पर नियमानुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हैं। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नहीं है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण भाग विक्रय किया है तथा विक्रीत खसरा नम्बरान में विक्रेता का कोई भाग शेष नहीं रहा है।

कलश सिंह

V. pur kumar

तपसील वसूली जरे समन मुबलिंग 20,00,000/-रु० बजरिये कैश आर्डर सं० 966009 दिनांक 22-05-2006 पंजाब नेशनल बैंक, अन्तराष्ट्रीय बैंकिंग शाखा मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त किये।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)

कल्लू सिंह

द्वितीय पक्ष (क्रेता)

Vipw kumar

श्री बजरिये सं० 966009

ग० मुहम्मद ताहिर डालीखान
पुत्र श्री मुहम्मद डालीखान
निवासी ग्राम खोजीपुर
पोस्ट उमरी बारापार
तब जिल्ला जिला मुरादाबाद

ग० मुहम्मद ताहिर डालीखान

बयनामा हाजा आज दिनांक 22-05-2006 का बमुकाम मुरादाबाद बड़करार पक्षकारान बमशवरा श्री एस० माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया।




न्यायालय मुद्रादाबाद
बाद नं० १३० पुरा-३५ पू० रा० खडि०
श्री. बी. पाण्डेय
अ. दिनांक २५/१/०६
अधिकार वापसी

वही नं० I जिल्द 5099 के पृष्ठ 209/230 में
क्रमांक 2539 पर आज दिनांक 22.5.06
का रजिस्ट्री की गई।
सी० बी० पाण्डेय
उप निष्पन्न द्वितीय
मुद्रादाबाद



नक्शा आराजी काश्त भूमिधरी वात खसरा
 संख्या 610 भि०, 612 अ, व 612 व कुल रकबाई
 2.024 हे० का 3 भाग वाके ग्राम पाकवाडा
 तहसील व जिला मुरादाबाद
 इफ्तारगी: श्री कल्लू सिंह

मौसुमा: लोहिया डवलपरसे रूठिया प्रा० लि० ला० फा० ज० ल०
 नोट: विक्रीत भूमि की 200.0 मी० की डिड्या से खेती हो रही है



श्री I नम डिड
 नोट
 डिड डि डिडिड डिडिड
 डिडिड डिडिड डिडिड
 डिडिड डिडिड डिडिड
 डिडिड डिडिड डिडिड

Vipin Kumar

03/11/20

TRACED BY
 S. P. R.
 DRAUGHTSMAN
 Court of
 19/11/20